महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर

कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांकः 23 फरवरी, 2012 **समय : प्रातः 11.00 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 77वीं बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2012 को प्रातः 11.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड बैठक कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

01.	प्रोफेसर रूप सिंह बारेठ, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रोफेसर रमाकांत, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
03.	प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
04.	श्री कमल बैरवा, विधायक - निवाई, (टौंक्) (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
05.	प्रो. के.के. शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
06.	प्रो. एस.एन.सिंह, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
07.	श्रीमती पुष्पा सांखला, (आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा के प्रतिनिधि),	सदस्य
08.	श्री किशोर कुमार कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

01.	डॉ. रघुनंदन शर्मा, विधायक केकड़ी, (अजमेर) (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
02.	शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राज. सरकार, जयपुर	सदस्य
03.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
04.	शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के नव-नियुक्त माननीय कुलपति प्रोफेसर रूप सिंह बारेठ का भावभीना अभिनन्दन किया एवं शुभकामनाओं स्वरूप गुलदस्ता भेंट कर आशा व्यक्त की कि माननीय बारेठ साहब के कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय विकास के नये सोपान तय करेगा तथा शिक्षण एवं शोध के नये आयाम स्थापित करेगा। प्रबंध बोर्ड के सदस्यों ने कुलसचिव श्री किशोर कुमार की भी यह पहली प्रबंध बोर्ड की बैठक होने के कारण उनका भी स्वागत किया। माननीय कुलपति ने प्रबंध बोर्ड के सदस्यों को विश्वास दिलाया कि उनकी तरफ से विश्वविद्यालय के समग्र विकास हेतु सार्थक प्रयास किये जायेंगे। तत्पश्चात प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं निम्नानुसार निर्णय किया गयाः-

मद	विवरण	अनुभाग/विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 08.08.2011 को सम्पन्न हुई 76वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (76) शैक्षणिक–**I**/मदसविवि/ 2011/ 30729-39 दिनांक 03.09.11 को प्रेषित की गई । कार्यवृत्त के सन्दर्भ में प्रो. रमाकान्त एवं प्रो. पी.एस. वर्मा का संयुक्त पत्र दिनांक 11.09.11 के क्रम में चर्चा हेतु प्रस्तुत है। अन्य उपस्थित सदस्यों से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड की 76वीं बैठक दिनांक 08-08-2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न प्रेक्षणों एवं संशोधनों के साथ की :-** **1. प्रबंध बोर्ड की 75वीं बैठक दिनांक 26.03.2011 के निर्णय सं0 21 पर प्रबंध बोर्ड में हुए निर्णय को पूर्णतः अंकित नहीं किया गया। प्रबंध बोर्ड में हुए निर्णय एवं कार्यवृत में अंकित निर्णय में विरोधाभास था जिस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रबंध बोर्ड में निर्णय किया गया कि प्रबंध बोर्ड के निर्णयों एवं कार्यवृत में अंकित निर्णयों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। उक्त मद में प्रो0 मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन संकाय के अवकाश को प्रबंध बोर्ड की विशेष शक्तियों के अधीन स्वीकृत किया जाता है एवं प्रकरण निर्णित किया जाकर इनका वेतन स्थिरीकरण किया जावे।** **2. मद सं.5 पर प्रो. पी.एस.वर्मा को कुलसचिव वांछित सूचना उपलब्ध करायेंगे ताकि अग्रिम कार्यवाही संभव हो सके, तब तक उक्त मद स्थगित किया जाए।** **3. मद सं.3 में प्रेक्षण किया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त शैक्षणिक केन्द्र जिनमें स्ववित्त पोषी कार्यक्रम एवं अन्य पाठ्यक्रम संचालित होते हैं का समग्र पुनरावलोकन एवं परीक्षण कर उनके त्वरित विकास एवं उन्नयन को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त नियन्त्रक को अधिकृत किया जाता है, ताकि, प्रशासनिक एवं वित्तीय विसंगतियों को दूर किया जा सके। साथ ही, इन केन्द्रों में पदासीन निदेशकों पर रोटेशन प्रणाली अन्य विभागों के सदृश्य लागू की जाए। परीक्षणोपरान्त इसे आगामी बोर्ड की बैठक में रखा जाए।** **4. प्रबन्ध बोर्ड ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार विमर्श के पश्चात् लिए गए निर्णय संख्या 2 पर गठित समिति में सदस्य सचिव लगाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।** **5. प्रबंध बोर्ड ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचारविमर्श के पश्चात् लिए गए निर्णय संख्या 4 पर निर्णय किया कि किन परिस्थिति में प्रशासनिक सचिव का पद विलोपित किया गया तथा उसकी एवज में राज्य सरकार से क्या पद प्राप्त हुए तथा इस बाबत विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के बीच क्या पत्र व्यवहार एवं कार्यवाही हुई, का विस्तृत विवरण कुलसचिव आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस पूरे प्रकरण को रिव्यू किये जाने का भी निर्णय लिया गया।**	
मद सं. 2	विद्या परिषद् की दिनांक 07.10.2011 को सम्पन्न 45 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(परिशिष्ठ– I)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई सकि मद सं0 2 के बिंदु सं0 8 पर विद्या परिषद के कार्यवृत में 'अस्वीकार' शब्द विलोपित किया जाता है।**	

मद सं. 3 प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 10 दिनांक 11.6.2008 के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की दिनांक 23.12.2010 को सम्पन्न हुई बैठक (चिकित्सा पुनर्भरण की दरों के सम्बन्ध में) के कार्यवृत में की गई संस्तुतियों पर विचार कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ट–II)** **लेखा एवं वित्त**

निर्णय **पुष्टि की गई।**

मद सं. 4 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.08.1997 के निर्णयानुसार दीक्षान्त समारोहों में प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण पदकों के सम्बन्ध में स्वर्ण पदकों के 4 सेन्टीमीटर डायमीटर का तथा 5 ग्राम सोना व 5 ग्राम चांदी मिश्रित निर्मित का निर्णय लिया गया था।विश्वविद्यालय अध्यादेश 122 (बी) के तहत् कोई प्रायोजक प्रबन्ध बोर्ड की स्वीकृति से कुलपति महोदय द्वारा अक्षय निधि कोष हेतु निर्धारित राशि जमा कराकर स्वर्ण पदक प्रायोजित कर सकता है। वर्तमान में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार कुल छः स्वर्ण पदक प्रायोजित हैं। जो कि अक्षय निधि कोष हेतु पूर्व निर्धारित राशि रू. 30000/- जमा कराकर प्रायोजकों द्वारा प्रायोजित किये गये हैं। सत्र 2007 तक आयोजित दीक्षान्त समारोहों में प्रायोजित स्वर्ण पदक वितरित किये जा चुके हैं । **शैक्षणिक-II**

दीक्षान्त समारोह में प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रायोजित स्मृति स्वर्ण पदकों हेतु संधारित अक्षय निधि की राशि के पुनर्निर्धारण एवं प्रदान किये जाने वाले पदकों में स्वर्ण एवं रजत के अंश के सम्बन्ध में प्रस्ताव देने हेतु गठित समिति की दिनांक 20 फरवरी, 2010 की बैठक की अनुशंसा के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार सोने व चांदी की तत्समय की अनुमानित कीमतों के आधार पर पदकों की लागत एवं पदक प्रायोजकों द्वारा अक्षय निधि की जमा राशि पर अर्जित आय के अंतर के आधार पर प्रायोजकों से रू. 150000/- अतिरिक्त राशि विश्वविद्यालय अक्षय निधि कोष में जमा कराये जाने एवं पूर्व वर्षों में दिये गये स्वर्ण पदकों की कीमत एवं अर्जित ब्याज के अंतर की संलग्न विवरण में अंकितानुसार राशि को भी उक्त राशि में सम्मिलित करते हुए प्रायोजकों को राशि जमा कराने हेतु संलग्न विवरणानुसार सूचित किया गया था। साथ ही यह भी सूचित किया गया था कि सोने की कीमत तथा बैंक ब्याज दर परिवर्तनशील होने के कारण प्रायोजकों द्वारा जमा अक्षय निधि की राशि भी तद्नुसार ही परिवर्तनशील है ।

अध्यादेश 122 (बी) के प्रावधानानुसार अक्षय निधि की राशि के निर्धारण हेतु कुलपति महोदय सक्षम है एवं स्वर्ण पदकों हेतु अक्षय निधि को स्वीकार किया जाना अध्यादेश 122 के प्रावधानांतर्गत है। पदक प्रायोजकों द्वारा माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार सूचित किये जाने के उपरांत भी प्रायोजकों द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं कराया जाना अध्यादेश 122 (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन है। प्रायोजकों द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं कराये जाने पर सत्र 2008 से उक्त स्वर्ण पदक अध्यादेश 122(बी) के प्रावधानानुसार प्रायोजित स्वर्ण पदक वितरित किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः संलग्न विवरणानुसार प्रायोजित स्वर्ण पदकों को उनके प्रायोजकों द्वारा अक्षय निधि की संशोधित राशि एवं वर्ष 2007 तक वितरित पदकों की लागत एवं आय के अंतर की राशि जमा नहीं कराये जाने के आधार पर वर्ष 2008 से प्रायोजित नहीं किये जाने का निर्णय लिये जाने एवं सत्र 1997 से 2007 तक वितरित स्वर्ण पदकों की संलग्न विवरणानुसार लागत एवं आय के अंतर की राशि अक्षय निधि की पूर्व में जमा राशि रू. 30000/- में से समायोजित करते हुए बकाया राशि पदक प्रायोजकों को लौटाये जाने के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ट–III)**

निर्णय **प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय लिया कि दीक्षान्त समारोह में वितरित किए जाने वाले स्मृति पदकों हेतु जमा अक्षय निधि की राशि को बढ़ाने हेतु प्रायोजकों को पत्र लिखकर उनसे सहमति ली जाए। यदि, सहमति या कोई जवाब प्राप्त नहीं हो, तो उनसे प्राप्त मूल राशि में से बकाया राशि काटकर सधन्यवाद उन्हें लौटाने की कार्यवाही की जावे।**

मद सं. 5 **शैक्षणिक-II**

विश्वविद्यालय के अध्यादेश 54 के प्रावधानानुसार कला, ललित कला, समाज विज्ञान, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों हेतु सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों की न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तरीय महाविद्यालय के प्राचार्य हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में 10 वर्ष का अध्यापन अथवा शोध का अनुभव होना आवश्यक है एवं स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों हेतु 12 वर्ष का अध्यापन अथवा शोध का अनुभव होना अनिवार्य है ।

अतः सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार अनुभवधारी प्राचार्यों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक स्तरीय एवं स्नातकोत्तर स्तरीय महाविद्यालयों में प्राचार्य पद हेतु अध्यापन अथवा शोध के अनुभव में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुभव सीमा में छूट के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन अथवा शोध के अध्यापन में शैक्षिक गुणवत्ता को बनाए रखने की दृष्टि से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाकर अनुभव में शिथिलता प्रदान किया जाना उचित नहीं है।**

अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तक बढ़ाए जाने हतु राज्य सरकार से निवेदन करने हेतु पत्र लिखा जाए।

मद सं. 6 **शैक्षणिक-II**

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय एमीनेन्ट अकेडमिक गर्ल्स कॉलेज, डिग्गी (टोंक) द्वारा सत्र 2010-2011 में स्नातकोत्तर स्तर पर पत्रकारिता एवं जन संचार (एम.जे.एम.सी.) पाठ्यक्रम की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया है।

सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय नियमानुसार सम्बन्धित पाठ्यक्रम का स्नातक स्तर पर 5 वर्ष तक निरन्तर एवं सफलतापूर्वक अध्यापन कराया जाना आवश्यक है ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पत्रकारिता एवं जन संचार में स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम अनुमोदित नहीं है जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर पत्रकारिता एवं जन संचार (एम.जे. एम.सी.) का पाठ्यक्रम अनुमोदित है एवं विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग में संचालित है।

अतः एमीनेन्ट अकेडमिक गर्ल्स कॉलेज, डिग्गी मालपुरा (टोंक) ने स्नातक स्तर पर उक्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी भी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय में संचालित नहीं होने के आधार पर स्नातक स्तर पर 5 वर्ष के निरंतर एवं सफलतापूर्वक अध्यापन के पश्चात् स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम की नवीन अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के नियमानुसार प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर पत्रकारिता एवं जन संचार (एम.जे.एम.सी.) की नवीन सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **आगामी बैठक में रखे जाने हेतु स्थगित किया। साथ ही, इस हेतु प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य प्रो.पी.एस. वर्मा को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से उक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया।**

मद सं. 7 पर्यावरण विज्ञान विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर की विभागीय समिति द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2011 को प्रस्तावित Centre for Environmental Education and Training (CEET) स्थापित एवं संचालित किए जाने की रूपरेखा पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट–IV)**

पर्यावरण विज्ञान विभाग

निर्णय

निर्णय किया कि विश्वविद्यालय में स्थापित एवं संचालित किए जाने की अनुशंषा की। उक्त सैण्टर को सुचारु रूप से संचालित किए जाने हेतु बोर्ड ने प्रो. के. के. शर्मा के संयोजकत्व में पाँच सदस्यों की निम्नानुसार एक समिति गठित की :

1. **प्रो. के.के. शर्मा, संयोजक**
2. **प्रो. एस. पालरिया, सदस्य**
3. **प्रो. जी.के. कलसी, सदस्य**
4. **डॉ. प्रवीण माथुर, सदस्य**
5. **डॉ. सुब्रतो दत्ता, सदस्य**

उक्त समिति समग्र विचार कर अपनी रिपोर्ट बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

मद सं. 8 शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष की बैठक दिनांक 30 अप्रैल, 2010 में कोष के नियमों को और अधिक व्यावहारिक एवं प्रासंगिक बनाये जाने का निर्णय लिया गया था । जिसके क्रम में इस हेतु गठित समिति के द्वारा शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष के संशोधित नियमों का प्रारूप दिनांक 04.03.2011 को प्रस्तुत किया गया ।

समिति द्वारा संस्तुत शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष के संशोधित नियमों का प्रारूप प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट–V)**

शैक्षणिक-II

निर्णय

बोर्ड ने शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष प्रबन्ध समिति द्वारा शिक्षक अंशदायी कल्याण कोष के संशोधित नियमों के प्रारूप एवं संस्तुति को कटौति 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत किए जाने के साथ स्वीकार किया।

मद सं. 9 प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 10 दिनांक 28.08.10 में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रतिवेदन है कि वर्ष 1987 में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेशों को इस शर्त के साथ अंगीकृत किया गया था कि इस विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर इसमें जो भी परिवर्तन, परिवर्धन/संशोधन आवश्यक होंगे वे सक्षम प्राधिकार द्वारा किये जा सकेंगे। तदनुसार वर्ष 1987 से अब तक अनेक अध्यादेशों में संशोधन किये गये हैं, और समय-समय पर कार्यालय आदेश जारी हुए हैं। परीक्षा संबंधी अध्यादेश सीधे-सीधे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों पर प्रभावशील होते हैं जिनकी कोई पुस्तिका या एकीकृत रूप में संकलन तैयार नहीं हुए है। इस प्रयोजन से प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.2009 के निर्णय संख्या 27 द्वारा डॉ0 जे.पी. व्यास को विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का प्रारूपण करने हेतु अधिकृत किया गया था। उन्होंने परीक्षा संबंधी सभी अध्यादेशों में अब तक हुए संशोधनों और इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखते हुए अध्यादेशों के अद्यतन करके इकजाई रूप में प्रस्तुत किया हैं, जिनका प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य प्रो. के.के. शर्मा के संयोजकत्व में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया गया हैं। अतः समिति की अनुशंषानुसार प्रस्तुत अध्यादेशों के प्रारूपण पर निर्णय करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट–VI)**

शैक्षणिक-I

निर्णय **बोर्ड ने इस सम्बन्ध में प्रो. के.के. शर्मा, कुलसचिव तथा विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित एच.एल.ए. को उक्त अध्यादेशों का पुनःपरीक्षण कर समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया। तदुपरान्त इन्हें स्वीकृत करने की अनुशंषा की।**

मद सं. 10 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा आयोजित पीटीईटी परीक्षा, 2007 के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेशार्थ सम्पन्न काउंसलिंग में समन्वयक पीटीईटी कार्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क के रूप में एकत्रित सकल शुल्क राशि रू0 1,01,62,49,205/- (अक्षरे एक सौ एक करोड़ बासठ लाख उनपचास हजार दो सौ पाँच मात्र) के विरूद्ध बैंक खाते में राशि रू. 22,400/- की न्यूनता (short credit) के फलस्वरूप वास्तविक रूप से राशि रू. 1,01,62,26,805/- मात्र (अक्षरे एक सौ एक करोड़ बासठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ पाँच मात्र) ही credited होने के कारण लेखा पुस्तकों में दर्शित short credit की राशि रू0 22,400/- का अपलेखन (write off) करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड की अनुमति प्राप्त करने हेतु **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VII)** वास्तविक प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श कर अपलेखन की अनुमति पर विचार करना । **पीटीईटी सैल**

निर्णय **बोर्ड ने इस सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक को राशि रु.22400/- का अपलेखन करने हेतु परीक्षण करने के पश्चात् उक्त राशि का अपलेखन करने संबंधी कार्यवाही की अनुशंषा की।**

मद सं. 11 विश्वविद्यालय के कार्मिकों द्वारा की गई मांग, कि वर्तमान नियमों में शिक्षण शुल्क का पुनर्भरण केवल उन कार्मिकों को किया जा रहा है जो आयकर नहीं देते हैं, इसके स्थान पर शिक्षण का पुनर्भरण उन कार्मिकों को भी किया जाय जो आयकर देते हैं (जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर में भी आयकरदाता कार्मिकों को शिक्षण शुल्क पुनर्भरण किया जा रहा है), पर विचार करने हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत मद । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–VIII)** **संस्थापन**

निर्णय **राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एज्यूकेशन, अजमेर से जानकारी प्राप्त कर इस विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन हेतु कुलसचिव एवं वित्त नियन्त्रंक को अधिकृत किया तथा आगामी बैठक में रखने का निर्णय किया।**

मद सं. 12 **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-** **उपाधि**

(1) **प्रतिवेदन है कि** निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनकी मूल उपाधि/ प्रमाण-पत्र खो जाने/नष्ट हो जाने के कारण अध्यादेश 158 के अन्तर्गत उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं कुलसचिव की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार उपाधि प्रतिलिपि (सूची संलग्न) जारी की गयी । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–IX)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(2) **प्रतिवेदन है कि** राज्य सरकार के पत्रांक क्र.प. 11 (7) वित्त/नियम/08 दिनांक 17.08.2010 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 15 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 14 दिनांक 13.10.2008 के अन्तर्गत माननीय कुलपति महोदय द्वारा उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार किया गया है । तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2011/38159 दिनांक 16.12.2011 **संस्थापन**

जारी किया गया **(कार्यसूची का परिशिष्ट–X)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

लेखा एवं वित्त

(3) प्रतिवेदन है कि कार्यालय आदेश क्र.एफ.6( )विवले/मदसविवि/2009/54130 दिनांक 07.12.2009 द्वारा गठित समिति की दिनांक 20.01.2010 को सम्पन्न हुई बैठक की अनुशंषा क्र.2 (जो वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.03.2010 और प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 26.05.2010 सपठित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28.08.2010 से अनुमोदित है) की अनुपालना में दिनांक 23.12.2010 को प्राचार्य जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर के कक्ष में सम्पन्न हुई समिति की बैठक की माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत अनुशंषाओं के अनुसार निम्नांकित निजी चिकित्सालयों/ चिकित्सकों को चिकित्सा परिचर्या हेतु विश्वविद्यालय के अनुमोदित चिकित्सकों/चिकित्सालयों की सूची में सम्मिलित किया गया है एवं उक्त प्रावधान विश्वविद्यालय के पेंशनर्स पर भी लागू किया गया है। तदनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6( )लेखा-I/ मदसविवि/ 2011/27214 दिनांक 29.07.11 जारी किया गया। **(कार्यसूची का परिशिष्ट–XI)**

1. दीपमाला पगरानी मेडिकल रिसर्च सेंटर, आदर्श नगर, अजमेर।
2. डॉ. डी.सी. शारदा मेमोरियल डेंटल चिकित्सालय, इम्पलाण्ट एवं रिसर्च सेंटर, अजमेर।
3. डॉ. देवराज शर्मा, फिजिशियन, के. 93, कृष्णगंज, अजमेर।

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

शैक्षणिक-I

(4) प्रतिवेदन है कि विद्या परिषद् की संस्तुति संख्या 21 दिनांक 16.05.2008 एवं प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय संख्या 11 दिनांक 11.06.2008 की अनुपालना में विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम 2(1) एवं 2 (2) के अंतर्गत माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नांकित संकायाध्यक्षों की नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन, दो वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हों, की गयी। तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-13( ) शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/ 2011/40393-692 दिनांक 30.12.11 जारी किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ट–XII)**

क्र.सं.	संकायाध्यक्ष का नाम	संकाय
1	प्रो. जी.के. कलसी, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	विज्ञान संकाय
2	प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष, जनसंख्या अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	समाज विज्ञान संकाय
3	प्रो. के.बी. रथ, प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर ।	शिक्षा संकाय
4	श्री ई.आर.जे. आबर्ट, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।	कला संकाय

निर्णय **निर्णय किया कि उक्त चारों संकायाध्यक्षों की नियुक्ति निरस्त की जाती है एवं कुलपति महोदय अग्रिम वांछित कार्यवाही संपादित करावें।**

(5) **प्रतिवेदन है कि** अग्रवाल कॉलेज, मेड़तासिटी (नागौर) की पत्रावली पर माननीय कुलपति महोदय ने निरीक्षण बोर्ड की दिनांक 25 मई, 2010 की बैठक के कार्यवृत्त के निर्णय संख्या 3 के तहत महाविद्यालय के प्रकरण में निम्न निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने एवं प्रकरण को प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में रखे जाने के आदेश प्रदान किये है:-

''महाविद्यालय को जारी रजिस्टर्ड नोटिस क्रमांक 43715 दिनांक 09.09.08 के प्रत्युत्तर में महाविद्यालय के स्पष्टीकरण दिनांक 12.09.08 का अवलोकन करने के पश्चात् महाविद्यालय के द्वारा अनुचित रूप से प्रवेशित छात्र को महाविद्यालय से निकाल देने की कार्यवाही, महाविद्यालय प्रशासन द्वारा क्षमा याचना एवं भविष्य में विश्वविद्यालय के नियमों का शत-प्रतिशत पालना करने संबंधी सशपथ कथन को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय को चेतावनी दिये जाने एवं सत्र 2008-09 में निरीक्षण बोर्ड के निर्णय के अध्यधीन प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि की पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया ।''

निर्णय **पुष्टि की गई।**

मद सं. 13 **लेखा एवं वित्त**

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के संशोधन आदेश संख्या एफ 7 (3) एफ.डी./रूल्स/98 जयपुर दिनांक 13.10.2008 के क्रम में इस विश्वविद्यालय के यात्रा भत्ता नियमों के निम्नांकित नियमों में Appendix II of Rule 8 (1) **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIII)** के अनुसार संशोधन पर विचार करना ।

निर्णय **राज्य सरकार के नवीनतम संशोधित यात्रा भत्ता नियमों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 14 **सामान्य प्रशासन**

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (पूर्व नाम *'अजमेर विश्वविद्यालय, अजमेर')* जिसकी स्थापना 01 अगस्त, 1987 को हुई। वर्तमान वर्ष इसकी 25वीं वर्षगांठ का रजत जयन्ती वर्ष है। इस हेतु विश्वविद्यालय में रजत जयन्ती समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसमें सेमीनार, कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, रजत जयन्ती स्मारिका का प्रकाशन तथा विगत 25 वर्षो की उपलब्धियों का प्रकाशन तथा प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन एवं स्मृति वर्ष के उपलक्ष में सिल्वर मैडल जिस पर विश्वविद्यालय की 25वीं वर्षगांठ अंकित हो, सभी शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया जाय ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक अनुदान द्वारा विश्वविद्यालय के 25 वर्ष पूर्ण करने पर जुबली ग्रांट के अन्तर्गत रूपये 25 लाख की राशि ..... Renovation/Construction of building of other activities of a capital nature along with the development proposal..... **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XIV)** प्रदान की जाती है ।

समारोह का भव्य आयोजन विश्वविद्यालय कोष से किए जाने पर विचार करना ।

निर्णय **निर्णय किया कि 31 जुलाई, 2013 तक संपूर्ण वर्ष विश्वविद्यालय के रजत जयंती वर्ष के रूप में आयोजित किया जावे तथा इस वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा अभिनव शोधोपरक एवं शैक्षणिक विकास कार्यक्रम आयोजित किये जावें तथा विश्वविद्यालय को विकास के नये आयाम स्थापित करने हेतु माननीय कुलपति को एक कमेटी अपने**

स्तर पर गठित कर वांछित कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया।

मद सं. 15 कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )मदसविवि/2009/54130 दिनांक 07.12.2009 द्वारा गठित समिति की दिनांक 23.12.2010 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त को निम्नांकित मद संख्या 01 पर चिकित्सा परिचर्या के संबंध में की गई अनुशंषा पर विचार करना एवं स्वीकृति की स्थिति में विश्वविद्यालय चिकित्सा परिचर्या नियमों के अंतर्गत यथास्थान संशोधन कर प्रवृत्त किए जाने पर विचार करनाः- **लेखा एवं वित्त**

मद संख्या 1 अजमेर स्थित निम्नांकित निजी चिकित्सालयों से प्राप्त दरों पर विचार करनाः-

1. मित्तल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, अजमेर ।
2. डॉ. खुंगर आई चिकित्सालय, रामगंज, अजमेर ।
3. संत फ्रांसिस अस्पताल, अजमेर ।
4. डॉ. क्षेत्रपाल आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, अजमेर ।

समिति ने विचार-विमर्श कर अनुशंषा की, कि '' विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित राजस्थान के निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों में उपचार की स्थिति में चिकित्सा परिचर्या का पुनर्भरण उन उपचार एवं शरीर में उन प्रत्यारोपित इम्प्लाण्ट्स पर व्ययित राशि की सीमा तक किया जाना चाहिए । जिन उपचारों हेतु निर्धारित पैकेज की राशि राजस्थान सरकार के आदेश प. 6 (4)/वित्त/नियम/2003 पार्ट, जयपुर दिनांक 16. 12.2009 **(परिशिष्ठ–XV)** समसंख्यक आदेश दिनांक 01.06.2010 **(परिशिष्ठ– XVI)**, समसंख्यक आदेश दिनांक 04.02.2010 **(परिशिष्ठ– XVII)** और राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6 (5) वित्त/नियम 2010 दिनांक 12.11.2010 **(परिशिष्ठ– XVIII)** में वर्णित है ।

राजस्थान के बाहर के, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों में ली गई चिकित्सा परिचर्या पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की दरों की सीमा तक की राशि का पुनर्भरण इस शर्त के साथ किया जाना चाहिए कि, राजस्थान के बाहर ली गई चिकित्सा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर अथवा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से रैफर होने के बाद ही ली गई हो ।

"उक्त अनुशंषा अजमेर में ली गई चिकित्सा के प्रकरणों में दिनांक 17.10.2008 से प्रभावशील की जानी चाहिए तथा चिकित्सा के अन्य प्रकरणों में प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन की दिनांक से की जानी चाहिए ।"

निर्णय **अनुमोदन प्रदान किया।**

शैक्षणिक-II

मद सं. 16 **सत्र 2010-11 में महाविद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के लिये एम.टेक, एम.सी.ए. के समान कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पीएचडी योग्यताधारी नियुक्त शिक्षकों को योग्य माने जाने एवं सत्र 2011-12 के लिये संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय द्वारा कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के लिये यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की कमी के आधार पर निर्धारित योग्यताओं में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रस्तावित योग्यताओं को प्रवृत करने के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय करना।**

<u>स्पष्टीकरण</u>

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 के मद सं. 2 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :

मद सं. 2

प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 8.08.2010 को सम्पन्न हुई 71वीं बैठक के कार्यवृत (Minutes) की पुष्टि करना ।

निर्णय

कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि निर्णय सं. 20 निम्नानुसार पढा जावे : वर्ष 2009-2010 में महाविद्यालयों को कम्प्यूटर आधारित कोर्सेज में शिक्षकों की निर्धारित योग्यता में शिथिलता प्रदान कर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय किया गया। साथ ही वर्ष 2010-2011 में शिक्षकों की योग्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए सीटों का आवंटन व वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु एम.टेक. तथा एम.सी.ए. के साथ ही फिजिक्स, मेथेमेटिक्स तथा स्टेटिस्टिक्स विषय पढाने वाले योग्यताधारी शिक्षक भी बी.सी.ए., पीजीडीसीए, बी.एससी. आई.टी. जैसे कम्प्यूटर आधारित कोर्स का अध्ययन करा सकेंगे। सत्र के दौरान महाविद्यालय योग्यताधारी शिक्षकों को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योग्यता निर्धारित है, के अनुसार नियुक्त करने की कार्यवाही करे । कार्यवाही रिपोर्ट जैसे विज्ञापन राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करवाकर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करवायें अन्यथा सत्र 2011-2012 से महाविद्यालय के लिये सभी प्रकार के बी.सी.ए. पी.जी.डी.सी.ए. बी. एससी. आई.टी. जैसे इन पाठ्यक्रमों की महाविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त हो जायेगी।

प्रबन्ध बोर्ड के उपरोक्त निर्णयानुसार समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय पत्रांकः 41432-586 दिनांक 24.10.2011 के द्वारा सूचित किया गया था।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सत्र 2010-2011 हेतु कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षकों हेतु निर्धारित योग्यताओं में कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पी.एचडी. उपाधि धारक को सम्मिलित नहीं किया गया था। जिसके क्रम में कतिपय महाविद्यालयों से कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पी.एचडी. की उपाधि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक होने के कारण कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पीएचडी उपाधि धारक व्यक्ति को कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के शिक्षण हेतु योग्यताधारी शिक्षक मान्य किये जाने के सम्बद्ध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय के द्वारा सत्र 2010-2011 में कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु एम.सी.ए. एम.टेक. के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पी.एचडी. योग्यताधारी शिक्षक को भी योग्य माने जाने की अनुशंसा की गई । किन्तु यह केवल उन्हीं महाविद्यालयों के लिये लागू होगी जिनके द्वारा सत्र 2010-2011 में ऐसे योग्यताधारी शिक्षकों को नियुक्ति दी गई हो।

इसके अतिरिक्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं में प्रदत्त शिथिलता सत्र 2010-2011 हेतु मान्य होने एवं सत्र 2011-2012 में भी कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु योग्यताधारी शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों के शिक्षकों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं में शिथिलता प्रदान करने एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2011-2012 के लिये कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार योग्यतायें निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई :

1. Post-graduate degree in Computer Science/MCA or related (Information Technology) with NET (as per UGC norms)

OR

2. M.E./M.Tech. in Computer Science (AICTE)

OR

3. MCA in Computer Science with minimum 60% marks aggregate (AICTE)

OR

4. Ph.D./M.Phil. in Computer Science

OR

5. *M.Sc. Computer Science/Information Technology with minimum 60% marks aggregate

*Applicable only for under-graduate BCA/B.Sc. (IT/CS)/ Vocational Courses/PGDCA and Computer Science/Computer Application papers in other degrees in Humanities and Sciences.

महाविद्यालयों को कालांतर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी एवं इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों/कार्यवाही की सूचना विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। सत्र 2011-2012 में कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों में निर्धारित योग्यता में शिथिलता हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।

संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय द्वारा अनुशंसित योग्यताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त योग्यताओं में शिथिलता को लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय **आगामी बैठक में रखे जाने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 17 विश्वविद्यालय के सामान्य प्रावधायी निधि के नियम 14 (2) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु गठित समिति की दिनांक 28.11.2011 को संपन्न बैठक की संस्तुतियों **(कार्यसूची का परिशिष्ठ– XIX)** पर विचार करना । **लेखा एवं वित्त**

निर्णय **अनुमोदन प्रदान किया गया।**

मद सं 18 डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी (DOEACC SOCIETY) चण्डीगढ़ ने विश्वविद्यालय में अपना सेंटर खोलने की स्वीकृति चाही थी । इस संस्थान के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों व इनके परिजनों को इस शिक्षण का लाभ प्राप्त होगा साथ ही आस-पास की बस्ती के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा । अतः कम्प्यूटर सूचनाओं एवं तकनीकी की शिक्षा दिये जाने हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटी (DOEACC SOCIETY) चण्डीगढ़ के सेंटर को 11 माह की अवधि के लिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थान दिये जाने पर विचार करना। **अभियन्ता कार्यालय**

निर्णय **आगामी बैठक में रखे जाने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं.19 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 में मद सं. 9 के तहत् निरीक्षण बोर्ड की दिनांक 25 मई, 2010 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किये गये थे। **शैक्षणिक–II**

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा उक्त मद पर विचार कर स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त विषय में सम्बद्धता लेने पर निरीक्षण नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए महाविद्यालयों में निरीक्षक भिजवाने के स्थान पर महाविद्यालयों से वांछित दस्तावेज विश्वविद्यालय में ही मंगवाकर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था साथ ही यदि

अध्यादेश में संशोधन होना हो तो संशोधन का प्रारूप प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

किन्तु प्रबन्ध बोर्ड के उक्त निर्णय में निरीक्षण बोर्ड के कार्यवृत्त के अनुमोदन के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25 मई, 2010 का कार्यवृत्त पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XX)**

निर्णय **निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25 मई, 2010 के कार्यवृत पर कार्यवाही करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**

मद सं. 20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ 3-1/94 (P.S.7) दिनांक 19.10.2006 के संबंध में प्रबन्ध बोर्ड ने अपने निर्णय संख्या 25 दिनांक 27.11.2009 के अनुसार विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति लाभ प्रदान करने की योजना को स्वीकार किया गया जिसके अंतर्गत 6 वर्ष की सेवा के साथ दो रिफ्रेशर कोर्स की अवधि केवल 4 सप्ताह ही मान्य की गयी, इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 3-1/94 (P.S.) दिनांक 11.02.2008 जिसमें रिफ्रेशर कोर्स की अवधि को अब 3 से 4 सप्ताह मान्य की गयी है, उक्त प्रावधान को प्रवृत्त करने पर विचार करना । **संस्थापन**

निर्णय **आगामी बैठक में रखे जाने हेतु स्थगित किया गया।**

मद सं. 21 कंचन देवी कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर साईंस, भीलवाड़ा के द्वारा बी.एससी. ऑनर्स, एम.एस.सी. जूलोजी, एम.एससी. बोटनी तथा एम.एससी. फूड एण्ड न्यूट्रीशन पाठ्यक्रमों का सत्र 2008-09 से 2009-10 की अवधि का बकाया सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराने के संबंध में महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक 870 दिनांक 08.12.2010 पर डॉ0 रघु शर्मा, विधायक एवं सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष रखे जाने हेतु किये गये निवेदन के क्रम में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXI)** **शैक्षणिक–II**

निर्णय **प्रबंध बोर्ड को अवगत कराया गया कि इसी प्रकार का एक प्रकरण जैन तेरापंथी महाविद्यालय, राणावास का प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है, उसके प्रकाश एवं निर्णय के अध्यधीन इस प्रकरण को भी निस्तारित किया जावे।**

मद सं. 22 वित्त समिति की दिनांक 16.02.2012 को सम्पन्न 30वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–XXII)** **लेखा एवं वित्त**

निर्णय **अनुमोदन इस प्रेक्षण के साथ किया गया कि बजट में विश्वविद्यालय के रजत जयंती वर्ष को दृष्टिगत रखते हुए बजट प्रावधान किया जावे साथ ही विश्वविद्यालय में एक एम्बेसेडर कार नं0 आर.जे.01-5368 वर्ष 1998 में क्रय की गयी है एवं निर्धारित किलोमीटर से बहुत ज्यादा चल चुकी है, अतः राज्य सरकार के नियमानुसार उक्त वाहन को कंडम घोषित करते हुए मोटर गैराज, राजस्थान सरकार, जयपुर को भिजवाने की कार्यवाही की जावे तथा विश्वविद्यालय के लिए एक बहुसुविधा युक्त नया वाहन क्रय किया जावे।**

मद सं. 23 प्रबन्ध मण्डल की 72वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 के मद संख्या 8 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया थाः-

''निर्णय : सहायक कर्मचारियों के उक्त अलाऊंस में वृद्धि करते हुए सहायक कर्मचारियों को जूता अलांऊस रूपये 350/-, सेण्डिल अलांऊस रूपये

160/- प्रति महिला कर्मचारी, मोजा अलांऊस रूपये 45/-, धुलाई भत्ता रूपये 85/- एवं मशीनमैन को एप्रिन अलांऊस रूपये 450/- प्रतिमाह करने का निर्णय किया गया।''

इस क्रम में पूर्व में भी माननीय कुलपति महोदय को व्यक्तिशः पत्रावली प्रेषित की गई थी कि निर्णय में अशुद्धि हुई है क्योंकि विश्वविद्यालय में सहायक कर्मचारियों के अतिरिक्त वाहन चालकों, मशीन मैन इत्यादि को भी वर्दी, एप्रिन, धुलाई भत्ता इत्यादि दिये जाते हैं चूंकि यह निर्णय प्रबन्ध मण्डल के द्वारा लिया गया है। अतः प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक दिनांक 23.02.2012 में संशोधन हेतु निम्नानुसार विचारार्थ प्रस्तुत है :-

<u>मद</u> समस्त वर्दीधारी कर्मचारियों को जूता अलांऊस रूपये 350/-(प्रति वर्ष), मोजा अलांऊस रूपये 45/-(प्रति वर्ष), धुलाई भत्ता रूपये 85/- (प्रतिमाह), मशीनमैन को एप्रिन अलाऊंस रूपये 450/-(प्रति वर्ष) एवं सैण्डिल अलांऊस रूपये 160/-(प्रति वर्ष) (गार्ड एवं चौकीदार को छोड़कर) निम्नानुसार देय होगाः-

1. **गार्ड एवं चौकीदार को जूता अलांऊस एवं मौजा अलांऊस प्रति वर्ष ठण्डी वर्दी के साथ देय होगा।**
2. **अन्य वर्दीधारी कर्मचारियों को सैंण्डिल अलांऊस ठण्डी वर्दी के साथ प्रति वर्ष देय होगा एवं जूता एवं मौजा अलांऊस गर्म वर्दी के साथ दो वर्ष में एक बार देय होगा।**

निर्णय **अनुमोदन प्रदान किया गया।**

मद सं. 24 सम्बद्धता प्राप्त 115 बी.एड. महाविद्यालयों में सत्र 2011-2012 में छात्र आवंटन हेतु समन्वयक, पीटीईटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को विश्वविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु बी.एड. महाविद्यालयों द्वारा प्रेषित सत्र 2010-2011 की सम्बद्धता की शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन करने पर अनुपालना रिपोर्ट के साथ प्रेषित सत्र 2010-2011 में महाविद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के नामों एवं दस्तावेजों का अन्य महाविद्यालयों की पत्रावलियों में उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान करने पर 44 महाविद्यालयों में 38 शिक्षकों के नाम एवं दस्तावेज समान पाये गये। जिसके अनुसार एक ही शिक्षक को सत्र 2010-2011 में एक से अधिक बी.एड. महाविद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत दर्शाया गया है। जिसके क्रम में उक्त शिक्षकों की नियुक्ति के सत्यापन हेतु महाविद्यालयों से प्राप्त दस्तावेजों की जांच के आधार पर संलग्न विवरणानुसार 31 महाविद्यालयों में उनके द्वारा सत्र 2010-2011 में कार्यरत दर्शाये गये शिक्षक नियुक्त एवं कार्यरत नहीं पाये गये एवं उक्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय को शिक्षकों की नियुक्ति के गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्धारित मानदण्डों से कम शिक्षक नियुक्त करने के दोषी पाये गये।**(परिशिष्ठ-1)** अतः विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांकः 11698 दिनांक 5.05.2010 (प्रति संलग्न) के प्रावधानानुसार सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त महाविद्यालयों की रू. 50000/- आर्थिक दण्ड के साथ सत्र 2011-2012 से सम्बद्धता समाप्ति किये जाने एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की दिनांक 31.08.2009 की अधिसूचना के विनियम 7 (10) (ii) के तहत् महाविद्यालय द्वारा गलत सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर महाविद्यालय की सत्र 2011-2012 से मान्यता समाप्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को सूचित किये जाने की अनुशंसा की गई। **(परिशिष्ठ-2)**

सम्बद्धता समिति की उक्त अनुशंसा के क्रम में माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के दोषी पाये गये 31 महाविद्यालयों को कुलसचिव द्वारा दिनांक 7.07.2011 को इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि ''महाविद्यालय को सत्र 2011-2012 की सम्बद्धता अथवा छात्रों के आवंटन के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर तभी विचार किया जा सकेगा जब पहले महाविद्यालय सम्बद्धता हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करके विश्वविद्यालय को सूचित करेगा तथा महाविद्यालय नियुक्त/कार्यरत शिक्षक से इस आशय का शपथ पत्र ''कि वह सत्र 2011-2012 में आपके महाविद्यालय में विधिवत रूप से पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत है और आपके महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत नहीं है।'' मय फोटोग्राफ, जो कि सम्बन्धित शिक्षक के द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षरित, नोटेरी पब्लिक से सत्यापित एवं संस्था प्रधान से अग्रेषित होकर सम्बन्धित शिक्षक के आई.डी. प्रूफ के साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर उसका सत्यापन कराएगा। इसके अतिरिक्त सत्र 2010-2011 में शिक्षकों की नियुक्ति एवं कार्यरत दर्शाये जाने के गलत दस्तावेज व गलत सूचना प्रस्तुत करने के आधार पर इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि महाविद्यालय द्वारा गलत सूचना/दस्तावेज क्यों प्रस्तुत की गई और गलत सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर महाविद्यालय के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की जाये। इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति की दिनांक से 10 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।''

महाविद्यालयों को जारी उक्त नोटिस के क्रम में महाविद्यालयों से स्पष्टीकरण एवं वांछित दस्तावेज प्राप्त होने से पूर्व ही सत्र 2011-2012 के लिए एन.ओ.सी. जारी किए जाने के क्रम में कुछ महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने तत्कालीन कार्यवाहक कुलसचिव से कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अवगत करवाया कि वे विश्वविद्यालय के मानदण्डों की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है किन्तु सम्बन्धित शिक्षकों के शपथ पत्र एवं सम्पूर्ण दस्तावेज नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवा कर आई.डी. प्रूफ के साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर सत्यापन करवाए जाने की प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। पी.टी.ई.टी. की काउंसलिंग में महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन 11 जुलाई से 22 जुलाई, 2011 तक के लिए ही दिया गया है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु दुबारा कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। जब तक वे विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण कर पाएंगे तब तक सत्र 2011-2012 के लिए बी.एड. महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होगी व हमारे महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश इस सत्र में नहीं हो सकेगा।

महाविद्यालय प्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत की गई समस्या को उचित मानते हुए एवं चूँकि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2011-2012 के लिए एन.ओ.सी. जारी करने अथवा सम्बद्धता दिए जाने के लिए मानदण्डों की पूर्ति के लिए इन महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है एवं महाविद्यालयों को भी मानदण्ड पूर्ति आवश्यक रूप से करनी है। अतएव विश्वविद्यालय के मानदण्डों की भी पूर्ति हो जाए एवं सत्र 2011-2012 के लिए ये महाविद्यालय एन.ओ.सी. के अभाव में छात्र प्रवेश से भी वंचित नहीं रहें, इसके लिये उक्त एन.ओ.सी. जारी किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उक्त एन. ओ.सी. की प्रति सम्बन्धित महाविद्यालयों को भेजकर एक सप्ताह में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया कि वे दो माह में सभी मानदण्ड पूर्ण कर मय दस्तावेज विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। यदि वे दस्तावेज निर्धारित अवधि में पूर्ण कर प्रस्तुत नहीं करते हैं या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज गलत पाये जाते हैं तो उनकी सत्र 2011-2012 के लिए जारी की गई एन. ओ.सी. निरस्त मानी जाएगी एवं सत्र 2011-2012 के लिए सम्बद्धता पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा एन.ओ.सी.

निरस्तीकरण की कार्यवाही करने पर उनके महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की ही होगी। इस शपथ पत्र का Display महाविद्यालय द्वारा अपने नोटिस बोर्ड पर छात्रों की सूचनार्थ भी लगाया जाएगा।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार दिनांक 9 जुलाई, 2011 तक 113 महाविद्यालयों को एवं शेष 2 महाविद्यालयों को उनका विधिक प्रकरण होने के कारण परीक्षणोपरान्त दिनांक 14.07.2011 को विश्वविद्यालय की एन.ओ.सी. समन्वयक, पीटीईटी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को जारी कर दी गई। उपरोक्त तथ्यात्मक वस्तुस्थिति से प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत एवं स्कूल शिक्षा को भी इस निवेदन के साथ कि उन्होंने दिनांक 21 जुलाई, 2011 के पत्र में जो निर्देश प्रदान किये हैं, उन निर्देशों के साथ कृपया इस विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम की उन धाराओं के सम्बन्ध में जो बी.एड. महाविद्यालय की सम्बद्धता से सम्बन्धित है, के उपर इन निर्देशों का अध्यारोही प्रभाव रहेगा, ऐसे निर्देश भी प्रदान करावें, अवगत कराया जा चुका है। सत्र 2010-2011 में शिक्षकों की नियुक्ति एवं कार्यरत होने के सम्बन्ध में समिति की अनुशंसाओं के आधार पर गलत/फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के दोषी महाविद्यालयों को माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25(2) के तहत् सम्बद्धता समाप्ति के नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

श्री अशोक संपतराम, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर ने अपने पत्रांकः प. 10(1)शिक्षा-1/2009/पार्ट दिनांक 21.07.2011 के साथ सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के पत्रांकः फा.क्र. 28-6/2010/पार्ट-7/ रा.अ. शि.प./मा.एवं मा. दिनांक 12 जुलाई, 2011 प्रेषित कर विश्वविद्यालय को निर्देशित किया था कि **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य किसी प्रकार की कमी की सूचना आदि है अथवा भविष्य में प्राप्त होती है तो उसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को उचित कार्यवाही के लिये तुरन्त प्रभाव से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।** जिसके अनुसरण में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा ने अपने पत्रांकः प.10(1) शिक्षा-1/ 2009/पार्ट दिनांक 21.07.2011 के माध्यम से यह निर्देश प्रदान किये कि **एनसीटीई ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.02.2011 में विस्तृत विवेचना करते हुए एनसीटीई तथा राज्य सरकारों/ विश्वविद्यायों के कार्यवृत्तों को स्पष्ट किया है। एनसीटीई ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों में छात्र आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर नियोजित निकाय ही महाविद्यालयों में छात्रों का सीधा आवंटन करें ताकि भविष्य में राज्य सरकार/विश्वविद्यालय के पास किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में शैक्षिक स्टाफ एवं अन्य किसी प्रकार की कमी की शिकायत प्राप्त होती है, तो उक्त शिकायत एनसीटीई को भिजवायें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 2011-2012 की बी.एड. काउंसलिंग का कार्य अन्तिम चरण में है। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी बिना शर्त एन.ओ.सी. वाले 741 बी.एड. महाविद्यालयों एवं 47 सशर्त एन.ओ.सी. वाले महाविद्यालयों को तत्काल सम्बद्धता प्रदान करें, अन्यथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश ऐजेन्सी द्वारा सीधे ही छात्रों को महाविद्यालय आवंटन कर दिया जायेगा।**

जिसकी अनुपालना में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली को विश्वविद्यालय पत्रांकः 2132 दिनांक 23.01.2012 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए विश्वविद्यालय को सत्र 2010-2011 में शिक्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में गलत दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं एनसीटीई के निर्धारित मानदण्डों से कम शिक्षक नियुक्त करने के दोषी पाये गये महाविद्यालयों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही

हेतु निर्देशित किये जाने का निवेदन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं एन.सी.टी.ई. से आज दिनांक तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

उपरोक्तानुसार वर्णित परिस्थति में दोषी पाये गये 31 महाविद्यालयों की सत्र 2010-2011 की सम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय लम्बित है तथा सत्र 2011-2012 में छात्र आवंटन हेतु उक्त महाविद्यालयों को भी सशर्त विश्वविद्यालय की एन.ओ.सी. जारी की जा चुकी है एवं महाविद्यालयों को समन्वयक, पीटीईटी द्वारा छात्रों का आवंटन किया जा चुका है। किन्तु सत्र 2011-2012 की सम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय लम्बित है। महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2012-2013 हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा कराया जा चुका है।

दोषी महाविद्यालयों के विरूद्ध सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांकः 11698 दिनांक 5.5.2010 के बिन्दु सं. 7 के प्रावधानांतर्गत प्रस्तावित है। बिन्दु सं. 7 के अनुसार महाविद्यालय द्वारा गलत दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर रू. 50000/- आर्थिक दण्ड एवं सम्बद्धता समाप्ति का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में डॉ. रघु शर्मा, माननीय विधायक एवं सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड ने पत्र क्रमांकः 2087 दिनांक 11 जनवरी, 2012 के साथ प्राईवेट बी.एड. कॉलेज संघ, अजमेर सम्भाग से प्राप्त पत्र संलग्न करते हुए प्राईवेट बी.एड. कॉलेज संघ, अजमेर सम्भाग का पक्ष सुनकर अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने की अनुशंसा की है। (प्रति संलग्न)

उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में उक्त 31 महाविद्यालयों की सत्र 2010-2011, 2011-2012 की सम्बद्धता वृद्धि /समाप्ति एवं सत्र 2012-2013 में उक्त महाविद्यालयों के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि तक समन्वयक, पीटीईटी-2012 को विश्वविद्यालय की एन.ओ.सी. जारी किये जाने अथवा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है। जो कि महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25 (2) के अंतर्गत सम्बद्धता वापसी हेतु जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में उक्त महाविद्यालयों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर तथा समान नीतिगत निर्णय के पश्चात् ही लिया जाना सम्भव है। अतः विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानांतर्गत विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांकः 11698 दिनांक 5.05.2010 के बिन्दु सं. 7 के आधार पर सम्बद्धता समिति की अनुशंसा अनुसार दोषी पाये गये महाविद्यालयों की सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांकः 11698 दिनांक 5.05.2010 में संशोधन के सम्बन्ध डॉ. रघु शर्मा, माननीय विधायक एवं सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड के पत्र क्रमांकः 2087 दिनांक 11 जनवरी, 2012 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (प्रति संलग्न)

निर्णय **निर्णय किया कि, सत्र 2010-11 के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले 31 बी.एड. महाविद्यालयों को एन.सी.टी.ई. के निर्णयाधीन तदर्थ अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाए तथा राशि रु.50,000/- की पैनल्टी लगाई जाए।**

सत्र 2011-12 की अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किए जाने के लिए प्रो. पी.एस. वर्मा की अध्यक्षता में प्रो. के.के. शर्मा सदस्य तथा श्री आर.के. व्यास, उपकुलसचिव, शैक्षणिक-।। सदस्य सचिव की एक समिति गठित की जाए जो इस प्रकरण एवं विश्वविद्यालय द्वारा इस बाबत जारी अधिसूचना दिनांक 5 मई, 2010 का पुनःपरीक्षण करेगी तथा अपनी अनुशंषा प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

बैठक अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई तथा उपस्थित सदस्यों ने कुलपति प्रोफेसर रूपसिंह बारेठ के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए अपना पूर्ण सहयोग करने हेतु आश्वस्त किया। बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रदान करने के साथ सम्पन्न हुई। बैठक के अन्त में कुलसचिव श्री किशोर कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कुलपति
कुलसचिव